

समाहरणालय, मधेपुरा

(आपदा प्रबंधन शाखा)

-: आदेश :-

संयुक्त सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक- 92/आ०प्र०, दिनांक- 17.12.2013 के चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 में गैर योजना मुख्य बजट शीर्ष 2235 समाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, उप मुख्य -01 - पुनर्वास, लघु शीर्ष -200- अन्य राहत उपाय, उपशीर्ष -0003 - शीतलहर से बचाव में विपन्न कोड - एन0-2235012000003 के अन्तर्गत इस जिला को मो0 - 50,000/- (पचास हजार) रू0 मात्र का आवंटन प्राप्त हुआ है, जिसे निम्नांकित शर्तों के अधीन निम्न विवरणी के अनुसार नामित कार्यालय / पदाधिकारी को आवंटित किया जाता है :-

क्र.	उपावंटन प्राप्त करने वाले पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम	पूर्व आवंटन	वर्तमान आवंटन	कुल उपआवंटित राशि
01	अंचल अधिकारी, मधेपुरा नगर क्षेत्र सहित	शून्य	8,000/-	8,000/-
02	अंचल अधिकारी, सिंहेश्वर	शून्य	3,000/-	3,000/-
03	अंचल अधिकारी, शंकरपुर	शून्य	3,000/-	3,000/-
04	अंचल अधिकारी, गम्हरिया	शून्य	3,000/-	3,000/-
05	अंचल अधिकारी, चैलाढ़	शून्य	3,000/-	3,000/-
06	अंचल अधिकारी, कुमारखंड	शून्य	4,000/-	4,000/-
07	अंचल अधिकारी, मुरलीगंज नगर क्षेत्र सहित	शून्य	5,000/-	5,000/-
08	अंचल अधिकारी, उदाकिथुनगंज	शून्य	4,000/-	4,000/-
09	अंचल अधिकारी, आलमनगर	शून्य	4,000/-	4,000/-
10	अंचल अधिकारी, चौसा	शून्य	4,000/-	4,000/-
11	अंचल अधिकारी, पुरैनी	शून्य	3,000/-	3,000/-
12	अंचल अधिकारी, बिहारीगंज	शून्य	3,000/-	3,000/-
13	अंचल अधिकारी, ग्वालपाड़ा	शून्य	3,000/-	3,000/-
कुल योग :-			50,000/-	50,000/-

उपावंटन की शर्तें :-

- उपरोक्त आवंटन वित्त विभागीय पत्रांक 2561/आ०प्र०, दिनांक- 17.04.1998 के आलोक में किया जा रहा है, व्यय होने वाले राशि के लिए तैयार किये गये विपन्न/विपन्नों के उपर बड़े अक्षरों में लाल स्याही से 8000 अकाष्मिकता नधी अंकित कराया जाय। राशि की निकासी एवं व्यय में वित्त विभाग के निदेशों का अक्षरतः पालन किया जाय।

२

2. इस राशि का व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2013-14 में वर्ष मुख्यमुख्य बजट शीर्ष 2235 समाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, उप मुख्य -01 - पुनर्वास, लघु शीर्ष -200- अन्य राहत उपाय, उपशीर्ष -0003 - शीतलहर से बचाव में विपन्न कोड - एन0-2235012000003 मांग संख्या 39 यूनिट कोड 3106 सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा मद में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।
3. संगत वित्तीय प्रावधानों के अन्तर्गत उपांटित राशि का नियमानुसार व्यय एवं समायोजन करना संबंधित उपावंटन प्राप्त करने वाले पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेबारी होगी।
4. उपावंटित राशि का उसी मद में किया जाय जिस मद के लिए राशि का आवंटन किया गया है। किसी भी अन्य मद में इस राशि का बिचलन नहीं किया जाय, अन्यथा इस के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी जिम्मेवार होंगे।
5. उपावंटित राशि की गई राशि की निकासी यथा संभव Fully Voucher Bill के माध्यम से ही की जाय। अपिहार्य कारणवश ही राशि की अग्रिम निकासी ए0सी0 विपन्न के माध्यम से की जाय। अग्रिम तौर पर निकासी के बाद व्यय की गई राशि का डी0सी0 बिल महालेखाकार कार्यालय, बिहार, पटना को बिहार वित्त नियामावली प्रवधानों के अनुसार निर्धारित समय-सीमा में भेजते हुए उसकी प्रति व्यय प्रतिवेदन एवं सरकार के विहित प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाण पत्र इस विभाग को शीघ्रातिशीघ्र एवं अचूक रूप दिनांक 15.03.2014 तक शीघ्र भेज दिया जाय।
6. उपावंटित राशि की निकासी संबंधित विपन्न पर स्पष्ट रूप से मुख्य शीर्ष / उप मुख्य शीर्ष / लघु शीर्ष तथा विपन्न कोड का अंकन करना सुनिश्चित किया जाय अन्यथा उक्त त्रुटिपूर्ण आंकड़े के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी जिम्मेवार होंगे।
7. यदि उपरोक्त उपावंटित राशि का व्यय इस वित्तीय वर्ष में नहीं हो सके तो अवशेष राशि का प्रत्यार्पण दिनांक 15.03.14 तक निश्चित रूप से कर दिया जाय अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी जिम्मेवार होंगे। राशि की निकासी कर बैंक खाते में नहीं रखी जाए।

६°
जिला पदाधिकारी,
मधेपुरा।

ज्ञापांक 685 दिनांक 31-12-2013.

- प्रतिलिपि :- सभी अंचल अधिकारी, मधेपुरा जिला, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा/उदाकिशुनगंज/कोषागार पदाधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- आयुक्त, कोशी प्रमंडल सहरसा / संयुक्त सचिव, आपदा प्रबंधन, बिभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ।

Dmeon
31/12/13
जिला पदाधिकारी,
मधेपुरा।